क्रम-संख्या–89(ख–1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शनिवार, 22 मई, 2021

ज्येष्ठ 1, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग–4

संख्या 1212 ख / छः-पु-4–21-13(39)-बी-2021
लखनऊ, 22 मई, 2021

अधिसूचना

प0आ0–156

चूँकि राज्यपाल की यह राय है कि जिला कारागार, चित्रकूट में दिनांक 14 मई 2021 को बन्दियों 1–मुकीम उर्फ काला, पुत्र मुस्तकीम, 2–मेराज अहमद, पुत्र जलालुद्दीन, 3–अंशू दीक्षित उर्फ सुमित, पुत्र जगदीश की हुई मृत्यु की सम्पूर्ण घटना से संबंधित लोक महत्व के विषय की जाँच आयोजित करना आवश्यक है।

2–अतएव, अब, जाँच आयोग अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या 60 सन् 1952) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, श्री शशि कान्त को एकल सदस्यीय जाँच आयोग, जिसका मुख्यालय चित्रकूट में होगा, के रूप में नियुक्त करती हैं।

3–चूँकि राज्यपाल की राय है कि, की जाने वाली जाँच की प्रकृति और मामले की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना आवश्यक है। अतः राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन यह निदेश देती हैं कि उक्त धारा 5 की उपधारा (2), (3), (4) और (5) के उपबन्ध आयोग पर लागू होंगे।

4–आयोग, इस अधिसूचना के जारी किये जाने के दिनांक से 02 मास की अवधि के भीतर अपनी जाँच पूरी करेगा। इसकी अवधि में किसी प्रकार का परिवर्तन, शासन की ओर से किया जायेगा।

आज्ञा से,

अवनीश कुमार अवस्थी,

अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1212 kha/chha-pu-4–21-13(39)-B-2021, dated May 22, 2021:

No. 1212 kha/chha-pu-4–21-13(39)-B-2021

Dated Lucknow, May 22, 2021

WHEREAS the Governor is of the opinion that it is necessary to hold an inquiry with regard to matter of public importance regarding the entire episode relating to death of prisoners 1. Mukeem *Alias* Kala, S/o Mustkeem, 2. Meraj Ahmad, S/o Jalaluddin, 3. Anshu Dixit *Alias* Sumit, S/o Jagdeesh on May 14, 2021 in District Jail, Chitrakoot about the death of the aforesaid prisoners.

2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (Act no. 60 of 1952), the Governor is pleased to appoint Justice Shri Shashi Kant (*Retd.*), High Court, Allahabad as a single member Commission of Inquiry with Headquarters at Chitrakoot.

3. The Governor, being of the opinion that having regard to the nature of the inquiry to be made and other circumstances of the case, it is necessary so to do, is further pleased to direct under sub-section (1) of section 5 of the said Act, that the provisions of sub-section (2), (3), (4) and (5) of section 5 shall apply to the Commission.

4. The Commission shall complete the inquiry within a period of two months from the date of the issue of this notification. Any change in its tenure shall be at the behest of the Government.

By order,
AWANISH KUMAR AWASTHI,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 112 राजपत्र–2021–(210)–599+25=624 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

112 RPH (Grih Police folder-2021) anu-4 data-8 d